राजस्थान शिक्षा संकुल भवन समिति

भू–तल, ब्लॉक–6, डॉ॰एस॰ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर
Email- rss_bs@yahoo.com

फोन नं: 0141– 2701751

निविदा प्रपत्र

डॉ. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल के ब्लॉक–4 के छत की जीर्ण–शीर्ण पैरापेट दीवारों को तोडकर नवीन दीवार के निर्माण का कार्य

समयाविधिः– कार्यादेश दिनांक से तीन माह तक

ई–निविदा सूचना संख्या	:	राज. शिक्षा संकुल भवन समिति / 2023–24 / 04 दिनांक 13.12.2023	
निविदा प्रपत्र विक्रय / डाउनलोड करने की दिनांक एवं समय	:	दिनांक 15.12.2023 प्रातः 9:30 बजे से	
निविदा प्रपत्र डाउनलोड एवं इलैट्रोनिक फॉरमेट में जमा करने की अंतिम तिथि व समय	:	दिनांक 21.12.2023 को सांय 6.00 बजे तक	
मूल डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैकर्स चैंक एवं दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि व समय		दिनांक 22.12.2023 को दोपहर 12.00 बजे	
निविदा खोलने की दिनांक व समय	:	दिनांक 22.12.2023 को दोपहर 03.00 बजे	
अनुमानित लागत	:	6.50 लाख	
अमानत राशि	:	13000.00 रूपये	(डीडी / बैकर्स चैक ही मान्य)
निविदा शुल्क	:	1000.00 रूपये	
ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क		500.00 रूपये	
जारी निविदा में पेज नम्बर	:	01 से 14 तक	
संलग्नकों की संख्या	:	01 से ....तक (संवेदक द्वारा भरा जावे)	

सहायक अभियंता
राज. शिक्षा संकुल भवन समिति, जयपुर

अधीक्षण अभियंता
राज. शिक्षा संकुल भवन समिति, जयपुर

RAJASTHAN SHIKSHA SANKUL BHAWAN SAMITI

Dr. Radha Krishanan Shiksha Sankul, Block - 6 Ground Floor, J.L.N. Marg,Jaipur

BOQ

Name of work: - शिक्षा संकुल ब्लॉक–4 के छत की जीर्ण–शीर्ण पैरापेट दीवारों को तोडकर नवीन दीवार के निर्माण का कार्य।

S.no	Particular	Item Code/make	Qty.	Unit	Rate Rs P	Amount (RS)
1	2	3	4	5	6	7
1	**(Building Work) Based on BSR PWD - 2022, Rajasthan Jaipur**					
1.01	Dismantling stone slab/ terrazo chip flooring laid in cement mortar including stacking of serviceable material and disposal of unserviceable material within 50 meters lead.	14.25	23.00	Sqm	80.00	**1840.00**
1.02	Demolishing brick work manually/ by mechanical means including stacking of serviceable material and disposal of unserviceable material within 50 metres lead as per direction of Engineer-in-charge. In cement mortar.	14.7.3	28.00	Cum	538.00	**15064.00**
1.03	Brick work with F.P.S. bricks of class designation 75 in superstructure above plinth level upto floor V level in all shapes and sizes in : Cement mortar 1 : 6 (1 cement : 6 coarse sand)	5.2.2	22.00	Cum.	4990.00	**109780.00**
1.04	Supplying and fixing stone lintels/bed plates of approved quarry rough dressed in cement mortar 1:4 : Upto 15 cm. thick.	6.18.1	0.50	Cum	9621.00	**4810.50**
1.05	Providing and laying damp-proof course with cement concrete grade M-150 (1 : 2 : 4) mortar prepared with 1% solution of water-proof compound complete as per specification . 75mm thick.	3.7.2	17.50	Sqm	546.00	**9555.00**
1.06	Plaster on new surface on walls in cement sand mortar 1:4 including racking of joints etc. complete fine finish :	12.2.2	80.00	Sqm	202.00	**16160.00**
1.07	Providing gola 75x75 mm in cement concrete 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand : 4 stone aggregate 10mm and down gauge) including finishing with cement mortar 1:3 (1 cement : 3 fine sand) as per standard design :	10.22	76.00	Mtr.	111.00	**8436.00**
1.08	Providing and fixing double scaffolding system on the exterior side, upto five story made with 4" **wooden** member 1.5 m c/c horizontal and vertical direction joining with rassi, clamps, challies. The scaffolding system shall be stiffened with bracing, runner, connection of building if necessary with all essential safty features for the workmen etc complete as per direction of EI.The lavation area of the scaffolding shall be **measured** for payment. The **payment** will be made once irrespective of duration of scaffolding. **Note : This item to be used for maintence work judicially**	13.22	1492.00	Sqm.	162.00	**241704.00**
1.09	Stone work (machine cut edges) for Wall cladding/ Veneering work up to 10m height with 20 to 30 mm thick Red Sand Stone (Karauli) and backing filled with a grout of 12mm thick cement mortar 1:3 (1 cement : 3 coarse sand) including pointing in white cement mortar 1:2 (1 white cement : 2 stone dust) with an admixture of pigment matching the stone shade :(To be secured to the backing by means of cramps which shall be paid separately) Exposed face rough dressed	6.8.1	130.00	Sqm.	1814.00	**235820.00**
1.1	Tractor with trolley for disposal of dismental of material out side the campus	39	3	per day	1300.00	**3900.00**
1.11	Beldar for loading/unloading	114	6	Day	500.00	**3000.00**
					Total in Figures	**650069.50**

सहायक अभियंता
राजस्थान शिक्षा संकुल भवन समिति
जयपुर

अधीक्षण अभियंता
राजस्थान शिक्षा संकुल भवन समिति
जयपुर

CONDITION OF TENDER & INSTRUCTION TO BIDDER

Must Followed by the bidder

1. निविदा प्रपत्र को वेबसाइट http://eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जाता सकता है। इस निविदा में भाग लेने वाले सर्वेदकों को निविदा केवल इलेक्ट्रोनिक फारमेट में वेबसाइट http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करनी होगी तथा 2 प्रतिशत अमानत राशि निविदा शुल्क व ई–निविदा शुल्क भौतिक रूप से राजस्थान शिक्षा संकुल भवन समिति में जमा करवाना होगा। **अमानत राशि, निविदा शुल्क एवं ई–निविदा शुल्क के डिमाड ड्राफ्ट निविदा जारी होने की दिनांक के पश्चात् के होने अनिवार्य है।**
2. अमानत राशि, निविदा शुल्क एवं ई–प्रोसेसिंग शुल्क को स्केन कर ऑनलाईन दर्ज करना होगा।
3. फर्म द्वारा ऑनलाईन निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड किया जाना आवश्यक है:–
   I. वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र।
   II. वैध जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र।
   III. निविदा शुल्क 1000/– का डी.डी./बैकर्स चैक की प्रति।
   IV. ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क 500/– का Managing Director RISL JAIPUR के नाम का डी.डी. /बैकर्स चैक की प्रति।
   V. पैन कार्ड की प्रति।
   VI. गत 3 वर्षो की आई.टी.आर
   VII. अमानत राशि 13000/– का डी.डी./बैकर्स चैंक की प्रति।
4. **निर्माण कार्यो की पूर्ण करने की अवधि 03 माह होगी।**
5. राजस्थान लोक उपापन में पादर्शिता नियम– 2013 के नियम 61 के अन्तर्गत केवल वहीं दस्तावेज मांगे जाएगे जिनसे निविदा का सारवान हित अर्थात कोई भी संवेदक तकनीकी रूप से अपात्र से पात्र न होता हो।
6. इलेक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्र को जमा करवाने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवें कि निविदा प्रपत्र से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ संलग्न कर दी गयी है।
7. निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फार्मेट में उपरोक्त वेबसाईट पर डिजिटल हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिनके प्रस्ताव डिजिटल हस्ताक्षर के साथ नहीं होगें, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेगें।
8. किसी निविदादाता द्वारा यदि इलेक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्र जमा करवाने में देरी हो जाती है तो उसके लिए राजस्थान शिक्षा संकुल भवन समिति कार्यालय जिम्मेवार नहीं होगा।
9. निविदा प्रपत्र की सभी प्रपत्रों को सम्पूर्ण रुप से भरकर ऑनलाईन दर्ज अर्थत अपलोड करना अनिवार्य है।
10. ऑनलाईन निविदा भरते समय उपरोक्त निर्देशों की पालना नहीं करने के परिणामस्वरूप निविदा प्रक्रिया में उत्पन्न किसी भी प्रकार की बाधा के लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
11. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जयपुर शहर स्थित न्यायालय होगा।
12. निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार नियंत्रक अधिकारी, राजस्थान शिक्षा संकुल भवन समिति को होगा।

सहायक अभियंता
राजस्थान शिक्षा संकुल भवन समिति
जयपुर

अधीक्षण अभियंता
राजस्थान शिक्षा संकुल भवन समिति
जयपुर

सामान्य शर्ते

(डॉ. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल के ब्लॉक–4 के छत की जीर्ण–शीर्ण पैरापेट दीवारों को तोडकर नवीन दीवार के निर्माण का कार्य।)

1. निविदा शुल्क, अमानत राशि (अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत), धरोहर राशि नगद अथवा चैक के माध्यम से प्राप्त नही की जावेगी। इस बाबत डिमाण्ड ड्राफ्ट्/बैंकर्स चैक जो राजस्थान शिक्षा संकुल भवन समिति के नाम देय हो स्वीकार्य होगा।
2. सफल संवेदक को कार्य प्रतिभूति राशि कार्यादेश राशि का 10.00 प्रतिशत (2 प्रतिशत अमानत राशि को समायोजित करते हुए) राशि जमा करवानी होगी। इस बाबत डिमाण्ड ड्राफ्ट्/बैंकर्स चैक जो राजस्थान शिक्षा संकुल भवन समिति के नाम देय हो स्वीकार्य होगा।
3. निविदा शुल्क, Bid Security राशि एवं 'ई–टेन्डरिंग' प्रक्रिया शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक राजस्थान शिक्षा संकुल भवन समिति कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक है। निविदा से संबंधित प्रक्रिया राजस्थान शिक्षा संकुल भवन समिति कार्यालय से की जावेगी।
4. फर्म द्वारा ऑनलाईन निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड किया जाना आवश्यक है:–
   I. फर्म का सरकारी/अर्द्वसरकारी/ स्वायत्त शासी संस्था से सिविल निर्माण कार्य हेतु वैध पंजीकरण प्रमाण–पत्र।
   II. वैध जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र।
   III. निविदा शुल्क 1000/– का डी.डी./बैकर्स चैक की प्रति।
   IV. ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क 500/– का Managing Director RISL JAIPUR के नाम का डी.डी./बैकर्स चैक की प्रति।
   V. पैन कार्ड की प्रति।
   VI. गत 3 वर्षो की आई.टी.आर।
   VII. अमानत राशि 13000/– का डी.डी./बैकर्स चैंक की प्रति।
5. तकनीकी बिड में सफल पाये जाने पर निविदादाता की वित्तीय बिड खोली जावेगी।
6. वित्तीय बिड में न्यूनतम दर के आधार पर कार्यादेश की अभिशंषा हेतु चयन किया जावेगा।
7. GF&AR, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवम् नियम 2013 के समस्त प्रावधानों की पालना करनी होगी।
8. निविदादाता से अपेक्षा की जाती है कि निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व स्वंय के हित में कार्य स्थल का मौका निरीक्षण कर कार्य से सम्बन्धित समस्त मद व क्षेत्र की पूर्ण जानकारी स्वंय के स्तर पर निरीक्षण/परीक्षण कर ले।
9. प्रसारित निविदा के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी राजस्थान शिक्षा संकुल भवन समिति कार्यालय से कार्यालय दिवस एवं कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है।
10. निविदा की वैधता अवधि निविदा खोलने की दिनांक से अगले 90 दिन तक वैध रहेगी।
11. सशर्त निविदा स्वीकार्य नही होगी।
12. निविदादाता को कार्यादेश दिये जाने की सक्षम स्तर से कार्यालय स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्यालय से सफल निविदादाता को पत्र प्रेषित किया जावेगा। सफल निविदादाता को कार्यादेश जारी करने से पूर्व कार्यालय मे उपस्थित होकर अनुबंध हेतु राशि रूपये 1000/– का नॉन ज्युडिशियल स्टॉम्प (जो कि निविदादाता को लाना होगा) पर निविदादाता एवम् नियंत्रक अधिकारी, राजस्थान शिक्षा संकुल भवन समिति एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् के मध्य किया जावेगा। कार्य के अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे एवम् कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि हेतु सामान्य शर्तो के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार डिमाण्ड ड्राफ्ट्/बैंकर्स चैक प्रस्तुत करना होगा। निविदादाता द्वारा निर्धारित अवधि (07 दिवस) में उक्तानुसार कार्यवाही नही करने पर निविदादाता को कार्यादेश जारी नही कर उसकी निविदा निरस्त कर निविदादाता द्वारा जमा करवाई गई अमानत राशि को जब्त किया जावेगा।

सहायक अभियंता
राजस्थान शिक्षा संकुल भवन समिति
जयपुर

अधीक्षण अभियंता
राजस्थान शिक्षा संकुल भवन समिति
जयपुर

13. निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न 'G'-Schedule में अंकित दर के कॉलम में कार्य/मद की दरे जी.एस.टी. सहित है। अतः संवेदक अपनी दर इसी अनुरूप प्रस्तुत करे। इस प्रकार प्रचलित जी.एस.टी. का भुगतान (यदि लागू है तो) संवेदक को स्वयं के स्तर से करना होगा, कार्यालय द्वारा पृथक से जी.एस.टी. का भुगतान नहीं किया जावेगा।

उक्त समस्त शर्तें मुझे स्वीकार है एवं मैं इन शर्तों की पालना करने को सहमत हूँ।

निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम

फर्म का नाम

पता

मोबाईल नम्बर

ई–मेल

सहायक अभियंता
राजस्थान शिक्षा संकुल भवन समिति
जयपुर

अधिशाषी अभियंता
राजस्थान शिक्षा संकुल भवन समिति
जयपुर

अनुबन्ध की शर्तें

(डॉ. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल के ब्लॉक–4 के छत की जीर्ण–शीर्ण पैरापेट दीवारों को तोडकर नवीन दीवार के निर्माण का कार्य।)

1. निविदादाता निविदा अथवा उसके सारभूत किसी भाग को ना तो किसी अन्य संस्था को सौंप सकेगा और ना ही हस्तान्तरित कर सकेगा।
2. निविदा में यदि कोई कार्य के मापदण्ड सम्मिलित नही है तो उसे इंजिनियर इंचार्ज के निर्देशानुसार सम्पादित करना होगा।
3. निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ होने से लेकर कार्य पूर्ण होने के पश्चात् कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि वापसी तक की सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान समस्त निर्णय राजस्थान शिक्षा संकुल भवन समिति द्वारा लिये जावेंगे। कार्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, परिवर्धन, कमी, वृद्धि आदि करने हेतु समस्त अधिकार राजस्थान शिक्षा संकुल भवन समिति का होगा जो संवेदक को मान्य होगा।
4. राजस्थान शिक्षा संकुल भवन समिति के किसी निर्णय से असंतुष्ट होने पर निविदादाता द्वारा प्रथम अपील अधिकारी अध्यक्ष राजस्थान शिक्षा संकुल भवन समिति एवं शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग व द्वितीय अपील अधिकारी वित्त विभाग होगा।
5. निविदा एवम् उसके किसी भाग को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नियंत्रक अधिकारी, राजस्थान शिक्षा संकुल भवन समिति एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के पास सुरक्षित है। जिस के विरूद्ध अपील नही की जा सकेगी।
6. किसी भी निर्णय के विरूद्ध वैधानिक क्षैत्राधिकार जयपुर शहर में स्थित न्यायालय ही होंगे।
7. राजकीय नियमों के अनुसार जी.एस.टी. सहित अन्य समस्त प्रकार के टैक्स जैसे इनकम टैक्स, रायल्टी आदि निविदादाता द्वारा ही देय होगें जो निविदादाता की प्रस्तुत दरों में शामिल होगी।
8. RTPP Act 2012 एवं नियम 2013 की समस्त शर्तें लागु होगी।
9. निविदादाता श्रम कानुन एवं उचित मजदूरी अनुच्छेद 1970 एवम् नियम 1971 के अन्तर्गत पाबन्द होगा।
10. कार्यादेश जारी दिनांक से तीन माह तक की अवधि हेतु कार्यादेश जारी किया जावेगा।
11. सम्बन्धित कार्य अनुबन्ध एवम् निविदा शर्तो के अनुसार निर्धारित समयावधि में पूर्ण करना होगा।
12. कार्य की दोष निवारण अवधि (Defect Liability Period) 3 वर्ष होगी।
13. कनिष्ठ अभियंता एवं सहायक अभियंता की उचित अनुशंसा के बाद सुरक्षा जमा राशि कार्य पूरा होने के बाद संवेदक के लिखित में आवेदन पर दोष दायित्व अवधि के उपरान्त लोटाई जावेगी।
14. कार्यादेश जारी होने के बाद निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण कार्य या कार्य का कोई भाग सम्पादित नही करने पर उन कार्यो को निविदादाता की जोखिम और लागत (RISK & COST) पर बाजार दर पर करवा लिया जावेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
15. कार्य से सम्बन्धित कोई भी सामग्री जो निर्धारित मापदण्डो के अनुसार सही नही है उस सामग्री को कार्यस्थल से हटाने के निर्देश (मौखिक/लिखित) दिये जाने के 03 तीन दिवस के अन्दर निविदादाता को अपने खर्चे पर हटाना होगा अन्यथा उक्त सामग्री को निविदादाता की जोखिम और लागत (RISK & COST) पर बाजार दर पर हटवा दिया जावेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
16. कार्य के दौरान संवेदक की सेवायें संतोषजनक नही होने पर संवेदक द्वारा जमा कराई गई कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि को जब्त कर संवेदक को काली सूची (Black List) में डाले जाने की कार्यवाही की जा सकती है।
17. संवेदक को कार्यादेश दिये जाने के बाद भी कार्यालय को यदि किसी स्त्रोत से यह जानकारी प्राप्त होती है कि वह काली सूची (Black List) में दर्ज है तो संवेदक का कार्यादेश निरस्त कर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि को जब्त कर संवेदक द्वारा किये गये कार्यों का भुगतान भी नही किया जावेगा।

सहायक अभियंता
राजस्थान शिक्षा संकुल भवन समिति
जयपुर

अधीक्षण अभियंता
राजस्थान शिक्षा संकुल भवन समिति
जयपुर

18. भुगतान हेतु संवेदक को किये गये कार्य समाप्ति पर बिल कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
19. भुगतान हेतु प्रस्तुत बिल से राजकीय नियमानुसार कटोतिया की जावेगी।
20. संवेदक द्वारा किया गया पत्राचार तभी मान्य होगा जब वह कार्य आदेश जारी करने वाले अधिकारी को किया गया हो।
21. निविदादाता द्वारा गतिविधि विशेष को पत्र में वर्णित अवधि के अन्दर पूर्ण करना होगा जिसके लिये राजस्थान शिक्षा संकुल भवन समिति के अभियंता (अधीक्षण/अधिशाषी/सहायक/कनिष्ठ) द्वारा पत्र से अथवा मौखिक आदेशों से सूचित किया जावेगा। जारी निर्देशों की अवहेलना किये जाने पर संवेदक के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
22. संवेदक को निर्देश मौखिक अथवा पत्र जरीये मोबाईल/लैण्ड लाईन/फैक्स/ई मेल के द्वारा दिये जायेंगे। अतः शिक्षा संकुल परिसर में कार्यों के सम्पादन/देख रेख हेतु नियोजित अपने अधिकृत प्रतिनिधि का नाम, पता, मोबाईल नम्बर, फैक्स नम्बर एवम् स्वंय/फर्म की ई–मेल आई. डी. फर्म के लेटर पैड पर प्रस्तुत करेगा। कार्यादेश अवधि के दौरान संवेदक को अपने प्रतिनिधि को बदलने की अनुमति होगी लेकिन इस बाबत् संवेदक को लिखित में कार्यालय भवन समिति को सूचित करना होगा। प्रतिनिधि बदलने की सूचना अप्राप्त/अपडेट नही होने की स्थिति में संवेदक स्वंय उत्तरदायी होगा।
23. नॉन बी.एस.आर. कार्य को संवेदक निम्नतम प्रचलित बाजार दर पर करने को बाध्य होगा। निम्नतम प्रचलित बाजार दर के निर्धारण बाबत कार्यादेश जारी करने वाले अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा जिसकी स्वीकृति गतिविधि विशेष के कार्यादेश से पूर्व ही संवेदक को जारी की जावेगी।
24. संवेदक भारत सरकार, राज्य सरकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, राजस्थान शिक्षा संकुल भवन समिति प्रचलित नियम/अधिनियम/निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेगा।
25. जी–शिड्यूल में वर्णित मद की दर में टंकन त्रुटि होने पर सम्बन्धित बी एस आर में अंकित वास्तविक दर को सही मानकर भुगतान किया जावेगा जो निविदादाता को स्वीकार करना होगा।

उक्त समस्त शर्तें मुझे स्वीकार है एवं मैं इन शर्तों की पालना करने को सहमत हूँ।

निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम

फर्म का नाम

पता

मोबाईल नम्बर

ई–मेल

सहायक अभियंता
राजस्थान शिक्षा संकुल भवन समिति
जयपुर

अधीक्षण अभियंता
राजस्थान शिक्षा संकुल भवन समिति
जयपुर

विशेष शर्तें

(डॉ. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल के ब्लॉक–4 के छत की जीर्ण–शीर्ण पैरापेट दीवारों को तोडकर नवीन दीवार के निर्माण का कार्य।)

1. निविदा में वर्णित कार्य राजस्थान पीडब्ल्यूडी के मापदण्डानुसार सम्पादित किया जावेगा।
2. कार्य PWF&R/GF&AR के नियमानुसार किया जावेगा। कार्य में विलम्ब होने पर PWF&R/GF&AR के नियमानुसार शास्ति(LD) आरोपित की जावेगी।
3. संलग्न जी–शिड्यूल के अतिरिक्त अन्य ऐसे कार्य/मद जो जी–शिड्यूल में नही है लेकिन वह कार्य संबंधित बी.एस.आर. में है तो तैयार की गई जी–शिड्यूल की BSR (PWD Rajasthan Building BSR 2022 Jaipur) में अंकित कार्य/मद को जी–शिड्यूल का भाग मानते हुये निविदादाता को स्वीकृत दर पर संबंधित कार्य करना होगा।
4. कार्य के प्रबन्ध एवं व्यवस्था से सम्बन्धित समस्त मशीन, औजार आदि (टी एण्ड पी) स्वयं ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाये जावेगें।
5. किसी सामग्री/कार्य से सम्बन्धित आवश्यकतानुसार कोई भी परीक्षण करवाया जा सकता है। परीक्षण से सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यवस्थायें एवम् परीक्षण व्यय की राशि संवेदक द्वारा वहन की जावेगी।
6. अनुबंध अवधि में इन्जीनियर इन्चार्ज के निर्देशानुसार संवेदक को कार्य करना होगा।
7. आवश्यकतानुसार निर्देश दिये जाने पर अवकाश दिवस (शनिवार, रविवार एवम् राजकीय अवकाश) तथा कार्यालय समय के अतिरिक्त भी कारीगर अथवा श्रमिक अथवा दोनो उपलब्ध करवा कर निर्देशित कार्य करना होगा।
8. निर्देश दिये जाने के बाद कार्य सम्पादन में विलम्ब होने पर नियमानुसार पेनल्टी आरोपित की जावेगी।
9. कार्य के दोरान किसी भी दुर्घटना के लिऐ संवेदक की जिम्मेदारी होगी। संवेदक से अपेक्षा की जाती हे कि निर्देशित कार्यो के सम्पादन से पूर्व वह सुरक्षा मापदण्डो को स्वंय के स्तर से सुनिश्चित करें एवम् उनकी पालना करे।

उक्त समस्त शर्तें मुझे स्वीकार है एवं मैं इन शर्तों की पालना करने को सहमत हूँ।

निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम

फर्म का नाम

पता

मोबाईल नं.

ई– मेल

सहायक अभियंता
राजस्थान शिक्षा संकुल भवन समिति
जयपुर

अधीक्षण अभियंता
राजस्थान शिक्षा संकुल भवन समिति
जयपुर

Annexure A: Compliance with the code of Integrity and No Conflict of Interest.

Any person participating in a procurement process shall-

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
(b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
(c) Not indulge in any collusion. Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
(d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
(e) Not indulge in any correction including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
(f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
(g) Disclose conflict of interest, if any; and
(h) Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. Have controlling partners/shareholders in common; or
b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. Have the same legal representative for purpose of the Bid; or
d. Have the relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access have to information about or influence on the bid of another Bidder, or influence the decision of the procuring Entity regarding the bidding process; or
e. The bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specification of the Goods, Works or Service that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

सहायक अभियंता
राजस्थान शिक्षा संकुल भवन समिति
जयपुर

अधीक्षण अभियंता
राजस्थान शिक्षा संकुल भवन समिति
जयपुर

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to ....for procurement of ....in response to their Notice Inviting Bids No...............................Dated ....I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Biding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the union and the State Government or any local authority as specification in the Bidding Document;
3. I/We have are not insolvent in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administrated by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceeding for any of the foregoing reasons;
4. I/We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conducted or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceeding;
5. I/We do not have a conflict of interest as specification in the Act, Rules and the bidding Document, which material affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name:
Designation:
Address:

सहायक अभियंता
राजस्थान शिक्षा संकुल भवन समिति
जयपुर

अधीक्षण अभियंता
राजस्थान शिक्षा संकुल भवन समिति
जयपुर

Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and the address of the first Appellate Authority is ....
The designation and the address of the first Appellate Authority is ....

(1) Filing an appeal

If any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the act or the rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Providing that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filled only by a Bidder who has participated in procurement proceeding:

Providing further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filled only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidder Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) Determination of need of procurement;
(b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) Cancellation of a procurement process;
(e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) Fee for Filling Appeal

(a) Fee for first appeal shall be two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non refundable.
(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

सहायक अभियंता
राजस्थान शिक्षा संकुल भवन समिति
जयपुर

अधीक्षण अभियंता
राजस्थान शिक्षा संकुल भवन समिति
जयपुर

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be upon filing of appeal, shall issued notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date of fix hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be shall,-

(i) Hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

सहायक अभियंता
राजस्थान शिक्षा संकुल भवन समिति
जयपुर

अधिशाषी अभियंता
राजस्थान शिक्षा संकुल भवन समिति
जयपुर

FORM No. 1

[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....

Before the ....(First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   - (i) Name of the appellant:
   - (ii) Official address, if any:
   - (iii)Residential address:
2. Name and address of the respondent(s):
   - (i)
   - (ii)
   - (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the procuring entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal:

....

....

....

....(Supported by an affidavit)

7. Prayer:

....

....

....

Place ....

Date ....

Appellant's Signature

सहायक अभियंता
राजस्थान शिक्षा संकुल भवन समिति
जयपुर

अधीक्षण अभियंता
राजस्थान शिक्षा संकुल भवन समिति
जयपुर

Annexure D: Additional Conditions of Contract

1. **Correction of arithmetical errors**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, that Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quality, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion in the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. If there is a error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error,in which case in the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accepted the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Deceleration shall be executed.

2. **Procuring Entity's Right to very Quantities.**

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit price or other terms & conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fail to do so, the Procurement Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. **Dividing quantities among one than more Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)**

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured fro the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject

matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

सहायक अभियंता
राजस्थान शिक्षा संकुल भवन समिति
जयपुर

अधीक्षण अभियंता
राजस्थान शिक्षा संकुल भवन समिति
जयपुर